International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 7 Issue 2, March-April 2023 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

कृषि विकास में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का योगदान

Kanhaiya Lal Meena

Associate Professor, Economics, SPNKS Govt. PG College, Dausa, Rajasthan, India

सार

किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

How to cite this paper: Kanhaiya Lal Meena "Contribution of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Agricultural Development" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-7 | Issue-2, April 2023, pp.335-340, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd54011.pdf

IJTSRD54011

Copyright © 2023 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नें 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया।यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी।बीमा दावे के निपटान की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का निर्णय लिया गया है ताकि किसान फसल बीमा योजना के संबंध में किसी परेशानी का सामना न करें। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की जायेगी। एसोसिएशन में के निपटान की प्रक्रिया बनाने का फैसला किया गया है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।[1]

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पैसे कैसे मिलेगा[- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आप सभी पैसा लेना चाहते हैं, जैसे कि आपको पैसा आपको कांच में आपके चेहरे की तरह दिख रहा है जी हां अगर आप सही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसे कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्लेम करना होगा जिसको बोलते हैं बीमा का क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर क्लेम करना होगा इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए यहां पर क्लिक करें .

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सूची-विशेषकर इस योजना के अंतर्गत अगर प्राकृतिक आपदाएं के रोगों के कारण अगर आप की फसल बर्बाद हो जाती हैं, तो सरकार के द्वारा आप का भुगतान किया जाएगा जितने आप का नुकसान हुआ है।कृषि में किसानों को सुनिश्चित करने के लिए बीज का भी पैसा मिलेगा [2] आपको।और साथ में दोस्तों इसका उद्देश्य यह भी है, कि किसान विशेषकर कर्ज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा।[3]

प्रीमियम की दरें

क्रम संख्या	सत्र	फसल	प्रीमियम की दरें
1	खरीफ	बाजरा व तिलहन	बीमित राशि का 3.5 प्रतिशत या वास्तविक, जो कम हो
		अन्य फसल (अनाज व दाल)	बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत या वास्तविक, जो कम हो
2	रबी	गेहूँ	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक, जो कम हो
		अन्य फसल (अनाज व दाल)	बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक, जो कम हो
3	खरीफ व रबी	वार्षिक वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानी फसलें	वास्तविक

अनाज, घास, दलहन और तिलहन के मामलों में वास्तविक का आकलन पिछले पाँच साल की अवधि के औसत के आधार पर किया जायेगा। वास्तविक दर राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के विकल्पों के आधार पर जिला, क्षेत्र या राज्य स्तर पर लागू की जायेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की विशेषताएं व लाभ -प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण आर्थिक हानि होती है तो इस हानि को सरकार द्वारा कुछ हद तक कवर करने की कोशिश किया जाता है। इस योजना के तहत किसानों के द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की प्रीमियम राशि को बहुत ही कम रखा गया है जिससे छोटा किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकें । सभी खरीद फसलों के लिए किसानों को केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के मामले में किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम राशि केवल 5% होगा। पहले यह योजना सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य था, लेकिन 2020 के बाद केंद्र ने ऐसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक कर दिया है इस योजना के तहत post-harvest (फसल कटाई के बाद) नुकसान को भी शामिल किया गया है । फसल काटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा के कारण फसल नुकसान हो जाता है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी । इस योजना में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा जिससे नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके । यह योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन रूप से जमा की जाती है।[4]

विचार-विमर्श

भोज्य फसलें एवं तिलहन

क्रमांक	फसलें	बीमित किसान द्वारा देय प्रीमियम
1	गेहूं	1.5% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो
2	अन्य फसलें (अन्य अनाज, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन)	2.0% या बीमांकिक दर, जो भी कम हो

वार्षिक व्यावसायिक/ बागबानी की फसलें

क्रमांक	प्रीमियम स्तर	सब्सिडी/ प्रीमियम
1	2% तक	कोई सब्सिडी नहीं
2	>2 - 5%	25%, बशर्ते 2% न्यूनतम निवल प्रीमियम कृषक द्वारा देय हो
3	>5 - 8%	40%, बशर्ते 3.75% न्यूनतम निवल प्रीमियम कृषक द्वारा देय हो
4	> 8%	50%, बशर्ते 4.8% न्यूनतम निवल प्रीमियम एवं 6% अधिकतम निवल प्रीमियम कृषक द्वारा देय हो

ऋण लेने वाले बीमित कृषक के मामले में देय निवल प्रीमियम, ऋणदाता बैंक द्वारा वित्तपोषित की जाती है।

बिहार राज्य के किसानों को मौसम की विषमताओं द्वारा उपज की संभावित क्षति से भरपाई करने हेतु बीमा योजना

इस फसल बीमा योजना में शामिल किये गये मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिये बहुत कम रखा गया है ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सकें।इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की फसलों (रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है। खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।[5] रबी (गेंहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों बीमा के लिये 5% प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर-बराबर बाँटा जायेगा।ये योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एम.एन.ए.आई.एस.) का स्थान लेती है।इसकी प्रीमियम दर एन.ए.आई.एस. और एम.एन.ए.आई.एस. दोनों योजनाओं से बहुत कम है साथ ही इन दोनों योजनाओं की तुलना में पूरी बीमा राशि को कवर करती है।[6]इससे पहले की योजनाओं में प्रीमियम दर को ढकने का प्रावधान था जिसके परिणामस्वरुप किसानों के लिये भुगतान के कम दावे पेश किये जाते थे। ये कैपिंग सरकारी सब्सिडी प्रीमियम के खर्च को सीमित करने के लिये थी, जिसे अब हटा दिया गया है और किसान को बिना किसी कमी के दावा की गयी राशी के खिलाफ पूरा दावा मिल जायेगा।प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जायेगा, जिससे किसान सिर्फ मोबाईल के माध्यम से अपनी फसल के नुकसान के बारें में तुरंत आंकलन कर सकता है।[7]

प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत आने वाले 3 सालों के अन्तर्गत सरकार द्वारा 8,800 करोड़ खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे; आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि को इस योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाता है।प्रीमियम की दरों में एकरुपता लाने के लिये,[8] भारत में सभी जिलों को समूहों में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जायेगा।ये नयी फसल बीमा योजना 'एक राष्ट्र एक योजना' विषय पर आधारित है। ये पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाईयों को धारण करते हुये उन योजनाओं की कमियों और बुराईयों को दूर करता है।किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा[9]।किसानों द्वारा भुगतान किये जानेवाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और

शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। भले ही शेष प्रीमियम 90% हो, यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।इससे पहले, प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम कम दावे का भुगतान होता था। अब इसे हटा दिया गया है और किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा।काफी हद तक प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।[10] दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के डेटा को एकत्रित एवं अपलोड करने हेतु स्मार्ट फोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5, 550 करोड़ रूपये का है।बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।पीएमएफबीवाई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) की एक प्रतिस्थापन योजना है और इसलिए इसे सेवा कर से छूट दी गई है।[11]

परिणाम

योजना के उद्देश्य-प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना के माध्यम से किसान को होने वाले नुकसान के लिए सरकार द्वारा बिमा प्रदान किया जायेगा |इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते है जिनका किसी प्राकृतिक आपदा के कारन नुकसान हुआ है |अन्य किसी कारन से नुकसान होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है |योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |बीमा कंपनियों के कार्यान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाएगा।मंत्रालय द्वारा नामित पैनल में शामिल एआईसी और कुछ निजी बीमा कंपनियॉ वर्तमान में सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि, फसल बीमा योजना में भाग लेंगी। निजी कंपनियों का चुनाव राज्यों के उपर छोड़ दिया गया है। पूरे राज्य के लिए एक बीमा कंपनी होगी।कार्यान्वयन एजेंसी का चुनाव तीन साल की अवधि के लिए किया जा सकता है, तथापि राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश तथा संबंधित बीमा कंपनी यदि प्रासंगिक हो तो शर्तों पर फिर से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह बीमा कंपनियों को किसानों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में प्रीमियम बचत से निवेश करने के माध्यम से विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।[12]

राज्य में योजना के कार्यक्रम की निगरानी के लिए संबंधित राज्य की मौजूदा फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) जिम्मेदार होगी। हालांकि कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी और परिवार कल्याण) के संयुक्त सचिव (क्रेडिट) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (NLMC) राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी करेगी।किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसली मौसम के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित निगरानी उपायों का पालन प्रस्तावित है:

- नोडल बैंकों के बिचौलिये आगे मिलान के लिए बीमित किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी दोनों) की सूची अपेक्षित विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक खाता नंबर, गांव, श्रेणी - लघु और सीमांत समूह, महिला, बीमित होल्डिंग, बीमित फसल, एकत्र प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि सॉफ्ट कॉपी में संबंधित शाखा से प्राप्त कर सकते हैं। इसे ई मंच तैयार हो जाने पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
- संबंधित बीमा कंपनियों से दावों की राशि प्राप्त करने के बाद, वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को एक सप्ताह के भीतर दावा राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण कर देना चाहिए। इसे किसानों के खातों में बीमा कंपनी द्वारा सीधे ऑनलाइन हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- लाभार्थियों की सूची (बैंकवार एवं बीमित क्षेत्रवार) फसल बीमा पोर्टल एवं संबंधित बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।
- करीब 5% लाभार्थियों को क्षेत्रीय कार्यालयों/बीमा कंपनियों के स्थानीय कार्यालयों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है जो संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) और राज्य सरकार/फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCCCI) को प्रतिक्रिया भेजेंगें।
- बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित लाभार्थियों में से कम से कम 10% संबंधित जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) द्वारा प्रतिसत्यापित किए जायेंगें और वे अपनी प्रतिक्रिया राज्य सरकार को भेजेंगें।
- लाभार्थियों में से 1 से 2% का सत्यापन बीमा कंपनी के प्रधान कार्यालय/केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों/राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति द्वारा किया जा सकता है और वे आवश्यक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजेंगें।

इसके अलावा, जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) जो पहले से ही चल रही फसल बीमा योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) और नारियल पाम बीमा योजना (CPIS) के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख कर रही है, योजना के उचित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी।[13]

मौसम आधारित रबी फसल बीमा पॉलिसी की विशेषताएं

1. दिसम्बर तथा अप्रैल के बीच मौसम के विभिन्न मापदण्डों, जैसे ओले, गर्मी, सापेक्षिक आर्द्रता, बारिश के विषम विचलन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।
2. वर्गीय बीमा उत्पाद जो गेहूं, आलू, जौ, सरसों, चना जैसे फसलों का बीमा प्रदान करता है।
3. अधिकतम जवाबदेही उपजाने के खर्च से जुड़ी होती है तथा फसल के अनुसार अलग-अलग होता है।

4. दावों के त्वरित भुगतान में मदद करता है, जैसे कि बीमा अवधि के 4-6 हफ्तों के अन्दर

गेहूं, सरसों, चना, आलू, मसूर, जौ एवं धनिया मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान राज्यो में रबी मौसम के दौरान उपजायी जाने वाली मुख्य फसलें है। ये फसलें मौसम के कारकों, यथा अतिवृष्टि, ओले एवं तापमान के बदलाव आदि के प्रति अति-संवेदनशील होते हैं।

मौसम बीमा (रबी) उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को असरदार जोखिम प्रबन्धन प्रदान करने का तंत्र है जिनके विषम मौसम परिस्थितियों से सर्वाधिक प्रभावित होने की सम्भावना हो। मौसम सूचक बीमे के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ हैं:[5]

1. विषम मौसम परिस्थितियों जैसी सतर्कता बिन्दु की घटनाएं स्वतंत्र रूप से सत्यापित एवं मापी जा सकती है।
2. यह क्षतिपूर्ति के त्वरित निबटारे में सहायक है, क्षतिपूर्ति काल समाप्ति के बस एक पखवाड़े बाद भी।
3. सभी पैदावार लेने वाले, छोटे/ बहुत छोटे; स्वामी या बटाई वाले/ साझेदारी में खेती करने वाले इस मौसम बीमा का लाभ ले सकते हैं।

कवरेज

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC), इन कारणों से सम्भावित घटती फसल की पैदावार के एवज में बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति करती है। सतर्कता बिन्दु से ऊपर अधिकतम तापमान (° C) तथा/या सतर्कता बिन्दु से सामान्य के ऊपर तापमान सीमा में विचलन तथा/या सतर्कता बिन्दु के नीचे न्यूनतम तापमान (° C) तथा/ या 4°C से नीचे न्यूनतम तापमान की वजह से पाला तथा/या सतर्कता बिन्दुओं (दैनिक/साप्ताहिक/मासिक आधार पर गणना किए गए) से अधिक वर्षा तथा/या सतर्कता बिन्दु से नीचे खिली धूप के घण्टे।

बीमा काल

बीमा दिसम्बर से अप्रैल के महीनों के बीच संचालित होता है। लेकिन काल अलग-अलग मानदंडों एवं फसलों के लिए अलग-अलग होता है।[6]

दावा प्रक्रिया नोट

दावे स्वचालित होते हैं; एवं उनका निबटारा प्रत्येक फसल के लिए अलग-अलग सम्बद्ध एजेंसियों/ संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, वर्षा एवं बी.एस.एच के आंकडों के आधार पर होगा। भुगतान योग्य स्थिति में होने पर क्षेत्र के सभी बीमित उपजाने वालों को (सन्दर्भित मौसम केन्द्र के अधिकार क्षेत्र में), बीमित फसल उगाने के लिए दावों का भुगतान समान दर पर किया जाएगा।

आलू की फसल बीमा

पॉलिसी की विशेषताएं

1. वृक्षों की संख्या से जुड़े खतरों पर आधारित विरला पैरामीट्रिक बीमा
2. आलू उगाए जाने वाले क्षेत्रों में आलू उत्पादकों की ठेके पर की जाने वाली खेती के लिए उपलब्ध
3. अधिकतम जवाबदेही 25,000 रुपये प्रति एकड़
4. "उगाने वाले – उत्पादक – वित्तपोषक – बीमा करने वाले" की साझेदारी के मॉडल पर आधारित

यह पॉलिसी देश के विभिन्न भागों में आलू उगाए जाने वाले क्षेत्रों में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली आलू की फसल पर लागू है।

कवर का विषय क्षेत्र

यह रोपण के एक हफ्ते बाद से शुरू होकर फसल कटाई के 7 दिनों पहले तक निवेश मूल्य कवर है। बीमा, बीमित जोखिमों के कारण बीमित व्यक्ति द्वारा क्षति या नुकसान के कारण (पौधों के सूखने/ संपूर्ण क्षति के फलस्वरूप वृक्षों की संख्या में निर्धारित सीमा से कमी) सहे गए आर्थिक नुकसान के लिए निवेश मूल्य के सन्दर्भ में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए है। यह बीमित जोखिमों के परिणामस्वरूप आलू की फसल की उपज/ उत्पादन के लिए लागू नहीं होगा। पॉलिसी, बीमित व्यक्ति को बीमाकाल के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, चक्रवात, तूफान, पाला, कीट एवं बीमारियों (लेट ब्लाइट को छोड़कर) आदि की वज़ह से आलू की फसल को नुकसान के कारण वृक्षों की संख्या में निर्धारित सीमा से कमी के लिए अकेले या एक साथ कवर तथा क्षतिपूर्ति (दावा आकलन प्रक्रिया के अनुसार) प्रदान करेगी।[7]

दावा प्रक्रिया

कोई भी नुकसान या हानि होने पर, बीमित व्यक्ति कम्पनी को 48 घण्टों के अन्दर सूचित करेगा (सीधे या वित्त पोषक बैंक या भागीदार संगठन के ज़रिये) एवं तत्पश्चात नुकसान या हानि के 15 दिनों के भीतर लिखित रूप से दावा प्रस्तुत करेगा। ऐसे किसी भी दावे के सन्दर्भ में बीमित व्यक्ति एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) को सभी जायज़ जानकारी, सहयोग एवं प्रमाण करेगा। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रदत्त बीमे का प्रति इकाई क्षेत्र कुल निवेशित मूल्य, पॉलिसी में निर्दिष्ट अनुसार राशि मानी जाएगी, जो कि खेती की दशा के अनुसार प्रतिशत पर खर्च की गई मानी जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आकलन योग्य नुकसान की मात्रा शर्तों, रक्षा करने, बहुतायत एवं अन्य कटौती के अनुसार ऐसी राशि होगी जैसी कि सूखे/ क्षतिग्रस्त पौधे प्रति एकड़ का प्रतिशत प्रति एकड़ निवेश राशि में लगाकर, जिस अवस्था में बीमित जोखिम नुकसान कर रहा है।[8]

दावे के निबटारे के लिए बीमित व्यक्ति को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) द्वारा विशिष्ट रूप से आग्रह किए गए बीमा प्रमाण एवं कोई भी अन्य दस्तावेज़/ प्रमाण देना होगा।

बायो ईन्धन वृक्ष/ पेड़ का बीमा

विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं की लगभग 80 प्रतिशत पूर्ति जीवाश्म ईन्धन द्वारा हो रही है जो कि दिनों-दिन बढ़ती मांग की वज़ह से खत्म होते जा रहे हैं। इससे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढे जा रहे हैं, जिनमें सबसे आशाजनक बायो-ईन्धन है। इस पर्यावरण-मित्र ईन्धन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बायो-ईन्धन वृक्ष/पेड़ उगाने वालों को विभिन्न प्रोत्साहन एवं सब्सिडी प्रदान कर रही है ताकि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त की जा सके।[9]

पॉलिसी की विशेषताएं

- जट्रोफा सहित छः विभिन्न वृक्ष/पेड़ों की प्रजातियों का विरला बीमा
- अकाल के जोखिम के लिए वैकल्पिक कवर की सुविधा
- अधिकतम दावेदारी खेती के मूल्य तथा वृक्षों/ पेड़ों से जुडी है एवं प्रजातियों के अनुसार अलग-अलग होती है।

उपयुक्तता

यह बीमा योजना उन बायो-ईन्धन वृक्ष/ पेड़ उगाने वालों एवं उत्पादकों के लिए लागू होती है, जिनके उत्पाद/ उपज निर्दिष्ट खतरों से प्रभावित होने की संभावना है। इस पॉलिसी में शामिल वृक्ष/ पेड़ है: जट्रोफा कर्कस (जट्रोफा), पोंगमिआ पिन्नाटा (करंजा), अज़ाडिरच्ता इन्दिका (नीम), बस्सिआ लेटिफोलिआ (महुआ), कैलोफाइलम इनोफाइलम (पोलंगा) एवं सिमारौबा ग्लौका (पैरेडाइज़ वृक्ष)।[10]

कवर का विषय क्षेत्र

पॉलिसी, बीमित व्यक्ति को निर्दिष्ट खतरों/ जोखिम जैसे आग, बाढ़, चक्रवात, तूफान, पाला, कीट एवं बीमारियों आदि की वज़ह से पेड़ों को पूर्ण नुकसान या क्षति के लिए कवर करेगी तथा निवेश राशि (मान्य मूल्य) से जुड़े, विलगन या संगामी रूप से आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। सम्पूर्ण नुकसान का अर्थ होगा अकेले बायो-ईन्धन वृक्ष या सम्पूर्ण बागान या उसके हिस्से में क्षति या नुकसान की वजह से वृक्ष की मृत्यु या वृक्ष का आर्थिक रूप से अनुत्पादक होना।

बीमित राशि

बीमित राशि, कवर्ड बीमे की प्रति इकाई निवेश राशि (मान्य मूल्य) पर आधारित है, जो वृक्ष की प्रकृति एवं आयु पर निर्भर करेगी। मोटे तौर पर बीमित राशि निवेश राशि के समतुल्य होती है तथा निवेश राशि के 125 से 150 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।[11]

प्रीमियम

प्रीमियम दर इन कारकों के आधार पर निर्धारित की गई है-

(क) पेड़/ फसल के जोखिम की रूपरेखा;
(ख) बीमा के अंतर्गत शामिल जोखिम की प्रकृति;
(ग) भौगोलिक स्थान;
(घ) समान जोखिम के लिए अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा लागू की गई दर;
(ङ) कटौती राशि, तथा
(च) बीमाकर्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों एवं खर्चों के लिए वहन किए गए भार।

बीमा काल

पॉलिसी वार्षिक है, तथा इसे 3 से 5 वर्षों की अवधि तक बढ़ाने का प्रावधान है।

हानि के आकलन की प्रक्रिया

किसी भी बीमित जोखिम की वज़ह से वृक्ष/ वृक्षों को होने वाले नुकसान की स्थिति में बीमित व्यक्ति को एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया (AIC) को दावा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा। दावे के प्रसंस्करण के लिए नुकसान के आकलन हेतु एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया कृषि विशेषज्ञ के साथ एक लाइसेंसधारी सर्वेक्षक को क्षेत्र में भेजेगी। दावों के उद्देश्य से, मृत/ पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने की वजह से आर्थिक रूप से अनुत्पादक वृक्ष इस पॉलिसी के अंतर्गत क्षतिग्रस्त माने जाएंगे। क्षय तथा/या बढ़त में कमी को क्षति नहीं माना जाएगा।[12]

गूदेदार वृक्ष का बीमा

पॉलिसी की विशेषताएँ

यह बीमा योजना उन गूदेदार वृक्ष उगाने वाले तथा उत्पादकों के लिए उपयुक्त है, जिनके उत्पाद/ पैदावार निर्दिष्ट खतरों से प्रभावित होना सम्भावित है। यह उत्पाद उचित आधारभूत ढांचे एवं फसल उगाने की सुविधा के विशेष भौगोलिक स्थानों पर गूदेदार वृक्षों के लिए प्रस्तावित की जाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले वृक्ष हैं:

- यूकेलिप्टस
- पॉप्लर
- सुबबूल
- केसुआरिना[13]

कवर का विषय क्षेत्र

पॉलिसी, बीमित व्यक्ति को निर्दिष्ट खतरों/ जोखिम जैसे आग, बाढ़, चक्रवात, तूफान, पाला, कीट एवं बीमारियों आदि की वज़ह से पेड़ों को पूर्ण नुकसान या क्षति के लिए कवर करेगी तथा निवेश राशि (मान्य मूल्य) से जुड़े, विलगन या संगामी रूप से आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। सम्पूर्ण नुकसान का अर्थ होगा अकेले गूदेदार वृक्ष या सम्पूर्ण बागान या उसके हिस्से में क्षति या नुकसान की वजह से वृक्ष की मृत्यु या वृक्ष का आर्थिक रूप से अनुत्पादक होना।

बीमित राशि

बीमित राशि, प्रदत्त बीमे की प्रति इकाई निवेश राशि (मान्य मूल्य) पर आधारित है, जो वृक्ष की प्रकृति एवं आयु पर निर्भर करेगी। मोटे तौर पर बीमित राशि निवेश राशि के समतुल्य होती है तथा बीमाकर्ता की मर्ज़ी के अनुसार निवेश राशि के 125 से 150 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

प्रीमियम

प्रीमियम दर इन कारकों के आधार पर निर्धारित की गई है

(क) पेड़/ फसल के जोखिम की रूपरेखा;
(ख) शामिल की गई जोखिम की प्रकृति;
(ग) भौगोलिक स्थान;
(घ) समान जोखिम के लिए अन्य बीमाकर्ताओं द्वारा लागू की गई दर;
(ङ) कटौती राशि, तथा
(च) बीमाकर्ता द्वारा विभिन्न मूल्यों एवं खर्चों के लिए वहन किए गए भार।

बीमा काल:

पॉलिसी वार्षिक है, तथा इसे 5 वर्षों की अवधि तक बढ़ाने का प्रावधान है।

बीमे का लाभ कैसे लें

बीमा उत्पाद एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया (AIC) के वर्तमान संजाल द्वारा उपलब्ध है। खेतिहर, वित्तीय बैंको, भागीदार एजेंसियों/ संगठनों, निवेश प्रदाताओं, कृषक संघों, बीमा दलालों आदि से बीमा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत उत्पादक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया (AIC) से पॉलिसी सीधे खरीद सकते हैं या अधिकृत व्यक्तिगत/ कॉर्पोरेट एजेंट्स से।

रबर वृक्ष बीमा

भारत में रबर प्रमुख नकदी फसलों में से एक है, मुख्य रूप से जिसकी खेती केरल और उत्तर -पूर्वी राज्यों में की जाती है। रबर वृक्ष आग, बिजली, जंगल की आग, झाड़ी की आग, बाढ़, तूफान, आंधी, सैलाब, भूस्खलन, चट्टान खिसकने, भूकंप, आदि खतरों के

संपर्क में रहते हैं। रबर वृक्ष की ख़ासियत यह है कि अगर होल्डिंग में कुछ पेड़ क्षतिग्रस्त या खराब होते हैं, तो भूमि के उस विशेष भाग का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता है, जबतक की सारे पेड़ों को काटकर क्षेत्र में पुन: वृक्षारोपणन किया जाए।

रबर वृक्षों के लिए बीमा योजना

यह योजना परिपक्व और अपरिपक्व, दोनों वृक्षों के लिए लागू होती है। पॉलिसी अपरिपक्व पौधों के रोपण महीने के अंतिम दिन से 7 वर्ष की अवधि तक के लिए जारी की जाएगी। मुआवजा दूसरे वर्ष के बाद से उपलब्ध होगा, जिसकी गणना 'पौधों की प्रतिस्थापन लागत के साथ साथ पौधों की हानि / मौत से उत्पन्न संभावित लाभ के वर्तमान मूल्य' के आधार पर की जाएगी। परिपक्व वृक्षों के लिए कवर, रोपण के 8 वें वर्ष में 3/ 2 / 1 वर्षों के ब्लाकों प्रदान की जाएगी। क्षतिपूर्ति की गणना अपरिपक्व पौधों के समान ही की जाएगी, यानि लागत मूल्य को ध्यान में रखकर, आवर्ती अनुरक्षण व्यय से अनुमानित उपज घटा कर। अधिकतम मुआवजा 8 से 13 वर्ष की आयु सीमा के दौरान (5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) के बाद 14 -19 साल (4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर); 20-22 वर्ष (3 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) और 23 -25 साल (2 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर) पर उपलब्ध है। विभिन्न आयु में मुआवजे का विवरण चार्ट में प्रदान किया जाता है।

योजना के अंतर्गत शामिल की गई जोखिम

आग, बिजली, दंगा, हड़ताल और शरारतपूर्ण क्षति, झाड़ी की आग, वन आग, बाढ़, तूफान, आंधी, सैलाब, भूस्खलन, चट्टान खिसकना, भूकंप और सूखा, यदि सम्बद्ध ब्लॉक / तालुका संबंध राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सूखा प्रभावित घोषित किया गया हो। पॉलिसी सड़क/ रेल वाहनों और जंगली जानवरों के कारण हानि या नुकसान भी कवर करती है।

बीमा अवधि

अपरिपक्व पौधों के रोपण महीने के अंतिम दिन से सात साल और 8 वें वर्ष के बाद 3 / 2 / 1 वर्ष के प्रत्येक ब्लॉकों में परिपक्व वृक्षारोपण के 25 वर्षों तक दिया जाता है।[13]

निष्कर्ष

अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगानेवाले पट्टेदार/ जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। गैर ऋणी किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकार्ड अधिकार (आरओआर), भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एल पी सी) आदि आवश्यक दस्तावेजी प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध, समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेजों भी आवश्यक हैं।अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्यों (एस ए ओ) के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्यतः आच्छादित होंगें।स्वैच्छिक घटक गैर ऋणी किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी।योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा। इस के तहत बजट आबंटन और उपयोग संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य वर्ग द्वारा भूमि भूमि-धारण के अनुपात में होगा। पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को कार्यान्वयन एवं फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सकता है।योजना बड़े पैमाने पर आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए एक 'क्षेत्र दृष्टिकोण आधार' (यानी, परिभाषित क्षेत्रों) पर लागू की जायेगी। यह धारणा है कि सभी बीमित किसान को बीमा की एक इकाई के रूप में एक फसल के लिए "अधिसूचित क्षेत्र" के तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए, जो समान जोखिम का सामना करते हैं और काफी हद तक एक समान प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लागत, प्रति हेक्टेयर तुलनीय कृषि आय और अधिसूचित क्षेत्र में जोखिम के कारण एक समान फसल हानि अनुभव करते हैं। अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस की यूनिट को जनसंख्या की दृष्टि से समरूप जोखिम प्रोफाइल वाले क्षेत्र से मैप किया जा सकता है।परिभाषित जोखिम के कारण स्थानीय आपदाओं और पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान के जोखिम के लिए, नुकसान के आकलन के लिए बीमा की इकाई प्रभावित व्यक्तिगत किसान का बीमाकृत क्षेत्र होगा।[13]

संदर्भ

[1] "वित्तीय सेवाओं का विभाग" ।

[2] "नवीनीकृत बीमा योजना प्रमुख कृषि सुधार को चिन्हित करती है" । 27 फरवरी 2020।

[3] "परिचालन दिशानिर्देश प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" (पीडीएफ) । pmfby.gov.in ।

[4] "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" (पीडीएफ) । pmfby.gov.in ।

[5] "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)" (पीडीएफ) । pmfby.gov.in ।

[6] "परिचालन दिशानिर्देश प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" (पीडीएफ) । pmfby.gov.in।

[7] "फसल बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध सामान्य बीमा कंपनियां" । vikaspedia.

[8] "मोदी की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना विफल हो रही है। यहाँ कठिन तथ्य हैं" । स्क्रॉल.इन। 21 जनवरी 2019।

[9] "पीएमएफबीवाई - बीमा कंपनियाँ अत्यधिक लाभ कमाती हैं, किसान पीड़ित होते हैं" । न्यूज़क्लिक।

[10] "मोदी की फसल बीमा योजना के तहत, कंपनियों पर किसानों का 2,800 करोड़ रुपये बकाया है" । thewire.in। 27 नवंबर 2018।

[11] वोरा, रुतम। "गुजरात भी, प्रीमियम बोझ का हवाला देते हुए, पीएम फसल बीमा योजना से बाहर हो गया" । बिजनेस लाइन । मूल से 11 अगस्त 2020 को पुरालेखित । 11 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

[12] "फसल बीमा: बढ़ती लागत राज्यों को पीएम मोदी की प्रमुख योजना छोड़ने के लिए मजबूर करती है" । द फाइनेंशियल एक्सप्रेस । 5 अगस्त 2020। मूल से 11 अगस्त 2020 को पुरालेखित । 11 अगस्त 2020 को पुनःप्राप्त ।

[13] कृषि क्षेत्र के लिए 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, भारत आज, 2019-08-30।